न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 151 / 2020
जी.सी..एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020 / 00193

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मदनलाल सुण्डा पुत्र कानाराम सुण्डा उम्र 30 वर्ष निवासी लालास तहसील नावां जिला नागौर, राज0		राजस्थान सरकार जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय दिनांक– 20/12/2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 16 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम मदनलाल सुण्डा उ.मू.दु. लालास में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट / डीलर द्वारा स्पष्टीकरण पेश नहीं करना मानकर आरोपो की मौन स्वीकृति बताकर राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एंव 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राशन डीलर मदनलाल का उचित मूल्य दुकान लालास तहसील नावां का जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने व डीलर द्वारा जमा करवाई गई समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का निर्णय दिनांक 07.09.2020 को अपीलांट / डीलर को पूर्ण सनवाई का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में पारित कर दिया। उक्त आदेश / निर्णय से व्यथित होकर जानकारी होने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 9277 / 2020 बअनवान मदनलाल सुण्डा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य पेश की जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया था फिर दिनांक 09.10.2020 को अंतिम आदेश पारित कर अपील करने व तुरन्त सुनवाई कर निर्णय करने के संबंध में निर्देशित किया तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार तुरन्त अपील पेश करने के लिए दिनांक 13.10.2020 को प्रमाणित प्रतियो के लिए आवेदन किया लेकिन प्रमाणित प्रति दिनांक 23.10.2020 को सायं तक प्राप्त हुई तत्पश्चात् दिनांक 24 व 25.10.2020 को सरकारी अवकाश आ जाने से आज दिनांक 26.10.2020 को यह अपील पेश की गई, जिसे न्याय हित में अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए न्याय [illegible] जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। उक्त [illegible] अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट की ओर प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने [illegible] का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। [illegible] अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

शपथ में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मैरिट पर निर्णय किया जाना उचित है।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलांट जरिये प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकान लालास पोश मशीन कोड 23033 के कार्यरत रहा था तथा अपीलांट ने सदेव पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार उचित मूल्य दकान का संचालन करता रहा है जिससे किसी भी उपभोक्ता/राशन कार्डधारी को कोई शिकायत नहीं रही थी व नियमानुसार दुकान संचालित करता रहा है। कालान्तर में दूरभाष पर शिकायत प्राप्त होना बताकर जिला रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय पत्रांक 112–13 दिनांक 05.03.2020 को विरेन्द्रसिंह जाखड व रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक का संयुक्त जांच दल गठित कर शिकायत की जांच कर जांच रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही का अंकन करते हुए जांच दल को मौके पर भेजना बताया व जांच दल ने वक्त निरीक्षण उपभोक्ता पखवाडे के दौरान उचित मूल्य दुकान बन्द पायी जाना व बंद का सूचना पट्ट पर कोई कारण अंकित नहीं पाये जाने, स्टॉक सूची बोर्ड लगा हुआ नही पाये जाने, स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण व अप्रामाणित पाये जाने, पोश मशीन से निकलने वाली पर्ची उपभोक्ता को नहीं दी जाने व उपभोक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करने, राशन कार्ड में सामग्री वितरण की प्रविष्टिया नहीं करने के आक्षेप लगाये गये, जिस पर दिनांक 12.03.2020 को प्राधिकार पत्र निलम्बित कर विभागीय प्रकरण दर्ज कर पत्रांक 214/ दिनांक 12.03.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

3(1)–उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर कारण बताओ नोटिस के बिन्दुओ के तहत स्पष्टीकरण पेश कर निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण उपभोक्ता पखवाडे के दौरान उचित मूल्य दुकान बंद नहीं थी, बल्कि दिन में पूरे दिन वितरण के पश्चात् तेज बुखार के कारण लगभग 4 बजे बिना ताला शट्टर नीचे करके सामने अस्पताल में डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया था, बरवक्त निरीक्षण भी वितरण किया गया था। वक्त निरीक्षण के समय सुचना पट्ट पुरानी दुकान पर लगा होने के कारण सरपंच द्वारा नई जगह वितरण कराने के कारण नहीं लग पाया था। स्टॉक रजिस्टर नया प्रमाणित उपरांत नहीं मिलने के कारण पुराने में पिछले माह तक प्रविष्टि दर्ज थी जो कि पोश मशीन में वितरण वक्त तक की दर्ज है। पोश मशीन में भी उपभोक्ताओं को पर्ची दी जा रही थी एंव किसी के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत निराधार एंव मनगढंत है सरपंच ग्राम पंचायत लालास का पत्र सलग्न पेश किया व यह भी निवेदन किया कि उपभोक्ता द्वारा राशन कार्ड लाने वालो की प्रविष्टि की जा रही थी व अधिकतर राशन कार्ड व आधार के नम्बर बताकर राशन प्राप्त करते है जिनको राशन देने का प्रावधान है। उचित मूल्य की दुकान प्रतिदिन आवश्यक रूप से खोली जा रही थी। उपर्युक्त स्पष्टीकरण पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा तकनीकी कारणों के अलावा कोई अनियमितता व शर्तो में कोई अनियमितता नहीं बरती है इसलिए सहानुभूतिपूर्वक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को मध्य नजर रखते हुए लाईसेन्स को बहाल कर वितरण के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3(2)–जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट/ डीलर द्वारा स्पष्टीकरण पेश नहीं करना मान कर आरोपो की मौन स्वीकृति बताकर राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एंव 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राशन डीलर मदनलाल का उचित मूल्य दुकान लालास तहसील नावां का जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने व डीलर द्वारा जमा करवाई गयी समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का निर्णय दिनांक 07.09.2020 को अपीलांट/डीलर को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में पारित कर दिया।

3(3)–निर्णय/आदेश जैर अपील विधि [illegible] सिद्धान्तों, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो, तथ्यों, परिस्थितियों के विपरीत [illegible] निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस अधिकारी द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बना कर पेश किया जाता है [illegible] में डीलर को पूर्ण सुनवाई की जाना व डीलर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर
नागौर (राजस्थान)

को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना वायरस महामारी के दौर में इतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुए भी इन सभी को नजर अंदाज करते हुए विद्वान जिला रसद अधिकारी ने निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित किया है जो विधि सम्मत व पारदर्शितापूर्ण नहीं होने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत निर्णय नहीं है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(4)—अपीलांट / डीलर ने किसी प्रकार की कोई गलती या अनियमितता नहीं की है जिस तरह से पूर्व से राशन सामग्री वितरण की जा रही थी, उसी अनुसार वितरण व्यवस्था सुचारू बनाई रखी थी तथा इस संबंध में अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी को नोटिस का जवाब पेश कर स्पष्ट कर दिया था कि वक्त निरीक्षण उपभोक्ता पखवाडे के दौरान उचित मूल्य दुकान बंद नहीं थी, बल्कि दिन में पुरे दिन वितरण के पश्चात् तेज बुखार के कारण लगभग 4 बजे बिना ताला शट्टर नीचे करके सामने अस्पताल में डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया था, बरवक्त निरीक्षण भी वितरण किया गया था। वक्त निरीक्षण के समय सूचना पट्ट पुरानी दुकान पर लगा होने के कारण सरपंच द्वारा नई जगह वितरण कराने के कारण नहीं लग पाया था। स्टॉक रजिस्टर नया प्रमाणित उपरांत नहीं मिलने के कारण पुराने में पिछले माह तक प्रविष्टि दर्ज थी जो कि पोश मशीन में वितरण वक्त तक की दर्ज है। पोस मशीन में भी उपभोक्ताओं को पर्ची दी जा रही थी एंव किसी के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत निराधार एंव मनगढंत है सरपंच ग्राम पंचायत लालास का पत्र सलग्न पेश किया व यह भी निवेदन किया कि उपभोक्ता द्वारा राशन कार्ड लाने वालो की प्रविष्टि की जा रही थी व अधिकतर राशन कार्ड व आधार के नम्बर बताकर राशन प्राप्त करते है जिनको राशन देने का प्रावधान है। उचित मूल्य की दुकान प्रतिदिन आवश्यक रूप से खोली जा रही थी। उपर्युक्त स्पष्टीकरण पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा तकनीकी कारणो के अलावा कोई अनियमितता व शर्तो में कोई अनियमितता नहीं बरती है इसलिए सहानुभूतिपूर्वक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को मध्यनजर रखते हुए लाईसेन्स को बहाल कर वितरण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उपर्युक्त जवाब / स्पष्टीकरण एनेक्चर 5 पत्रावली में पेश होने के बावजूद उसको नजर अन्दाज करते हुए जवाब /स्पष्टीकरण पेश नहीं करना बताकर आरोपो की मौन स्वीकृति मानने में जिला रसद अधिकारी ने भारी भूल की है व बिना आरोप प्रमाणित हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है।

3(5)—हस्तगत प्रकरण में दिनांक 06.03.2020 को शाम 4 बजे जांच अधिकारी लालास पहुंचे थे, अपीलांट की पोश मशीन में 2.30 बजे तक उपभोक्ता गेहूं लेने आये थे, बाद में बरसात हो रही थी, उपभोक्ता कम आये तथा अपीलांट दुकान पर ही था, उनको गेहूं वितरण किया गया तथा 4 बजे कोई उपभोक्ता नहीं होने के कारण पास के अस्पताल में अपीलांट को तेज बुखार आ जाने से इंजेक्शन लगवाने चला गया व राशन वितरण में सहयोगी वही दुकान पर थे करीब 5 उपभोक्ताओं को अपीलांट ने गेहूं दिये, इसके बावजूद मौका रिपोर्ट में दुकान बंद बतायी गयी है जो सरासर गलत बतायी गई है तथा दिनांक 06.03.2020 की वितरण सूची भी अपीलांट ने पेश की थी जिसको नजर अंदाज किया गया है। अपीलांट को राशन वितरण करते मात्र तीन महिने हुए थे, माह मार्च में सरपंच लालास द्वारा अपीलांट को खाद्य सुरक्षा का भवन उपलब्ध करवा दिया गया, अपीलांट की पुरानी दुकान पर बोर्ड बना हुआ था जो आज भी सुरक्षित है खाद्य सुरक्षा भवन अपीलांट को मार्च 2020 में ही दिया गया था, यह बात अपीलांट ने निरीक्षण दल को भी बतायी थी मगर उन्होने अपीलांट की कोई बात नहीं सुनी व गलत रिपोर्ट तैयार कर दी। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर नया प्रमाणित नहीं होने के कारण पुराने माह के रजिस्टर में ही प्रविष्टि दर्ज की थी तथा [illegible] पोश मशीन में स्टॉक ऑन लाईन ही रहता रहा है तथा पोश मशीन में हर दिन की वितरण पर्ची व स्टॉ[illegible] है। पोश मशीन की पर्ची हर उपभोक्ता को दी जा रही थी तथा किसी [illegible] सामने यह बात जांच दल को नहीं कही कि उसे पर्ची नहीं दी जा रही हो, यह बात [illegible]हीन है तथा किसी भी उपभोक्ता के साथ अपीलांट का व्यवहार अभद्र नहीं रहा है ऐसी शिकायत भी मनगढत, झुठी है इसका प्रमाण भी अपीलांट ने सरपंच लालास के लेटरहेड पर ज[illegible] में पेश किया था जिन सभी को नजर अन्दाज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

करते हुए जवाब पेश नहीं होना मानकर विधि विरूद्ध ढंग से निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उपभोक्ता के राशन कार्ड में प्रविष्टि की जाती है अपीलांट ने सभी उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में ऐंट्री की है तथा वर्तमान ऑन लाईन ट्रांजेक्शन के समय उपभोक्ता को आधार कार्ड से भी वितरण किया जाता है भामाशाह कार्ड से भी वितरण होता है अतः कुछ उपभोक्ता राशन लेकर ही नहीं आते है जबकि ऑन लाईन ट्रांजेक्शन पूर्ण रूप से ओ. टी.पी. व बायोमेट्रिक किया हुआ है। दुकान प्रतिदिन आवश्यक रूप से खुलती रही थी तथा ऑन लाईन ट्रांजेक्शन किये गये है उपर्युक्त जवाब देने के बाद भी जवाब बदनियती से शामिल पत्रावली नहीं किया गया है दिनांक 31.03.2020 को पूर्ण लोक डाउन था, घर से निकलना भी नहीं हो रहा था तथा डाक सेवा भी गांवो में बंद थी, जिला रसद अधिकारी कार्यालय नागौर अपीलांट के गांव से 150 किलोमीटर दूर पडता है तो जवाब समय पर देना संभव नहीं था, क्योकि आने–जाने की कोई व्यवस्था लोक डाउन के कारण नहीं थी। अपीलांट ने दिनांक 26.06.2020 को स्पीड पोस्ट से जवाब भेज दिया था जो बाद में सम्मलित नहीं किया गया तथा दिनांक 12.03.2020 के नोटिस के बाद अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया तथा लोक डाउन खुलने पर भी अपीलांट को बिना सूचना दिये उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है जो आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध है। दिनांक 26.06.2020 को की गयी रजिस्ट्री की रसीद व ऑन लाईन रिसिव्ड दिनांक 06.07.2020 को 2.17.19 पर डी.एस.ओ. ऑफिस में रिसीव हो गयी, जिसे भी जवाब में शामिल नहीं किया गया तथा दिनांक 07.09.2020 को बिना किसी सूचना के अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा फैसला कर दिया। दिनांक 26.06.2020 की डाक रजिस्ट्री रसीद व दिनांक 06.07.2020 की रिसीव पर्ची अवलोकन हेतु सलंग्न है इस प्रकार अपीलांट का जवाब नहीं लेकर व साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिये बिना कोरोना काल में बिना किसी अर्जेन्सी के जल्दबाजी में ऐसा कठोर निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

3(6)—अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी स्वतंत्र व निष्पक्ष उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है तथाकथित शिकायतकर्ता अपीलांट के परिवार से अदावत रखने के कारण मिथ्या शिकायत कर दी और जांच में प्रमाणित भी नहीं पाई गयी इसके बावजूद निष्पक्ष जांच किये बिना, स्वतंत्र उपभोक्ताओ के बयान लिये बिना सरसरी तौर पर भी मनमर्जी एक तरफा तैयार पेश की गयी है व उसको आधार मानकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है जो विधिक प्रक्रिया के जरिये पारित किया हुआ नहीं है इस कारण विधि सम्मत नहीं है निरस्त होने योग्य है।

3(7)—अपीलांट/डीलर ने इस तरह की वैश्विक महामारी के दौर में भी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए समय–समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई है इसके बावजूद इस दौर में डीलर का प्राधिकार पत्र आनन फानन में निरस्त करने से डीलर के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है डीलर के विरूद्ध कथित परिवादी ने तथाकथित शिकायत गलत आधारो पर दर्ज करवा कर नाजायज तंग परेशान किया जा रहा है व येन केन प्रकारेण प्राधिकार पत्र निरस्त करवा कर अपीलांट को बेरोजगार कर परेशान करने की बदनियती से मिथ्या शिकायत पेश की गयी है तथा जिला रसद [illegible] सुनवाई व साक्ष्य का अवसर भी नहीं दिया गया है निर्णय में अनुपस्थित बताया [illegible] तरफा निर्णय पारित किया गया है डीलर से यदि साक्ष्य ली जाती तो [illegible] था, ऐसी स्थिति में डीलर से जवाब व साक्ष्य आदि ली[illegible]र निर्णय में अ[illegible]क संशोधन करते हुए रिव्यु के तहत पत्रावली पुनः रिओपन की जाना आ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

3(8)—अप्रार्थी/डीलर बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा अप्रार्थी/डीलर नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है अप्रार्थी/डीलर ने रसद अधिकारी के मौखक आदेश व कोविड–19 के चलते सरकारी आदेशो की हमेशा पालना की है ऐसी स्थिति में कोविड–19 के चलते इस तरह का कठोर निर्णय पारित करना कतई न्याय संगत नहीं है। गांव के स्वतंत्र उपभोक्ताओं के बयान भी नहीं लिये गये है यदि बयान आदि लिये जाते तो भी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती तथा जो राशन कार्ड ऑन लाईन थे उन्ही को सामग्री वितरण की गयी है तथा खाद्य सुरक्षा से जुडे हुए व कार्डधारियों को ही वितरण किया जाना डीलर का कर्तव्य है इस संबंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत था व है इसका निर्णय में खुलासा विवेचन विश्लेषण नहीं किया है। उपर्युक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि अपीलांट निर्दोष है उसके विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट को जारी उक्त प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता/ सरपंच या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत् बने नियमों का उल्लंघन किया गया हो। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्रांधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनों की पालना करते हुए विधिनुसार कार्य किया जाता रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था, अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, इस कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौर में इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा ऐसी शिकायत नहीं होने बाबत बंधपत्र या अण्डरटेकिंग/ शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधारों पर एकतरफा कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में जिला रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित/ परिवर्तित/ निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलांट अक्षरक्षः पालना करने को तैयार होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 16/2020 राजस्थान सरकार बनाम मदनलाल सुण्डा में पारित आदेश/ निर्णय जैर अपील दिनांक 07.09.2020 को अपास्त/ संशोधित/ निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने की आज्ञा/ आदेश/व्यवस्था करने व अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो प्रदान कराने का निवेदन किया।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश पत्र दिनांक 05.03.2020 में दिये गये निर्देशानुसार संयुक्त जॉच दल (प्रवर्तन निरीक्षक नांवा एवं प्रवर्तन निरीक्षक कुचामन) द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण हेतु दिनांक 06.03.2020 को लालास पहूंच कर दुकान का निरीक्षण कर मौका फर्द दिनांक 06.03.2020, फर्द जब्ती दिनांक 06.03.2020 तैयार कर संयुक्त जॉच दल द्वारा जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 12.03.2020 को अपनी संयुक्त रिपोर्ट मय मौका फर्द दिनांक 06.03.2020, फर्द जब्ती दिनांक 06.03.2020, जब्त स्टॉक रजिस्टर, जब्त राशन कार्ड के प्रस्तुत की, जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या–16/2020 राजस्थान सरकार बनाम श्री मदनलाल सूण्डा उ.मू.दु. लालास दर्ज कर दिनांक 06.03.2020 को उ0मू0दु0 के निरीक्षण के दौरान अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितओं के संबंध में अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.03.2020 जारी किया गया। अपीलान्ट को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक के भेजा गया, जो लौटकर वापिस नहीं आने पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.06.2020 अनुसार [illegible] की तामील मानी गई फिर भी अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी 08.[illegible] को अपीलान्ट को जबाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अपीलान्ट को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने के बाद भी अपीलान्ट किसी भी तारीख पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपने बचाव में जबाब, साक्ष्य, सबूत आदि पेश किये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

विभागीय प्रकरण संख्या 16 / 2020 में दिनांक 07.09.2020 को निर्णय पारित कर प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूमि राशि 1000 / –रूपये जब्त बहक सरकार की जाकर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, जो निर्णय उचित एवं नियमानुसार है क्योंकि अपीलान्ट को नोटिस जारी करने के बाद अपीलान्ट को जबाब, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देने के बाद भी अपीलान्ट न तो अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा कोई जबाब एवं साक्ष्य सबूत पेश किया गये है। अपीलान्ट का कथन अपीलान्ट ने अपील के पेज संख्या–2 में उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर कारण बताओ नोटिस के बिन्दुओं के तहत स्पष्टीकरण पेश करना तथा अपील के पेज संख्या–4 के बिन्दु संख्या–3 में भी जिला रसद अधिकारी जी को नोटिस का जबाब पेश करने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट ने अपील के पेज नम्बर 6 के बिन्दु संख्या–5 में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.06.2020 को स्पीड पोस्ट से जबाब भेजना बताते हुए डाक रजि. की रसीद अपील के साथ पेश करना बताया है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ ऐसी कोई रसीदें पेश नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई जबाब पेश नहीं किया है, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं से भी स्पष्ट है, अपीलान्ट को जबाब हेतु समुचित अवसर दिया गया है, आदेशिकाओं से यह भी स्पष्ट कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा यदि जबाब पेश किया जाता तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जबाब अवश्य रिकार्ड पर लिया जाता। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब प्रस्तुत करने के संबंध में हस्तगत अपील में भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अपीलान्ट का अधिनस्थ न्यायालय में कारण बताओ नोटिस का जबाब पेश करने का उपर्युक्तानुसार कथन सत्यता से परे है।

4(1)–हस्तगत प्रकरण में संयुक्त जॉच दल द्वारा निरीक्षण कर मौका फर्द दिनांक 06.03.2020 को तैयार की गई, जिसके अनुसार अपीलान्ट की दुकान पर पहूंचने पर मौके पर उचित मूल्य दुकान खाद्य उपभोक्ता पक्षवाड़े के दौरान बंद मिली। आसपास के उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर लोगों द्वारा अवगत कराया कि उचित मूल्य दुकानदार मदनलाल सुण्डा महिने में कुछ ही दिन दुकान खोलता है। दुकान के बाहर सूचना बोड लगा नहीं पाया, अधिकारियों के नम्बर, अवशेष स्टॉक, दुकान बंद आदि की कोई सूचना प्रदशित होना नहीं पाया। दुकानदार के पास अवशेष रजिस्टर संधारित था परन्तु प्रमाणित नहीं था व 20.01.2020 के बाद की प्रविष्टिया दर्ज नहीं थी। उपभोक्ताओं को राशन वितरण की पर्ची नहीं दी जा रही रही थी। राशनकार्ड नम्बर 008376600202 भूराराम पि. हणमान जाति बावरी को चैक करने पर पाया कि राशन सामग्री के वितरण का राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया है। उक्त संबंध में संयुक्त जॉच दल द्वारा फर्द जब्ती दिनांक 06.03.2020 से अपीलान्ट की उ.मू.दु. से उक्त राशनकार्ड नम्बर 008376600202 भूराराम पि. हणमान एवं स्टॉक रजिस्टर को जब्त किया गया है। फर्द मौका एवं फर्द जब्ती रूबरू मौतबिरान तैयार कर पढ़कर सुनाई गई है, जिन पर उपस्थित व्यक्तियों व अपीलान्ट के हस्ताक्षर किये हुऐ है। अपीलान्ट द्वारा उक्त संबंध में अपनी अपील के माध्यम से भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे अपीलान्ट को जारी कारण बताओं नोटिस में लगाये गये आरोप गलत अथवा मिथ्या साबित हो।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश पत्र दिनांक 05.03.2020 में दिये गये निर्देशानुसार संयुक्त जॉच दल (प्रवर्तन निरीक्षक नांवा एवं प्रवर्तन निरीक्षक कुचामन) द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान लालास का दिनांक 06.03.2020 को निरीक्षण कर मौका फर्द दिनांक 06.03.2020, फर्द जब्ती दिनांक 06.03.2020 तैयार [illegible] जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 12.03.2020 को अपनी संयुक्त [illegible] मौका फर्द दिनांक 06.03.2020, फर्द जब्ती दिनांक 06.03.2020, जब्त [illegible] के प्रस्तुत की, जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या [illegible] 2020 राजस्थान सरकार बनाम श्री मदनलाल सुण्डा उ.मू.दु. लालास [illegible] 2020 को उ0मू0दु0 के निरीक्षण के दौरान अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितओं के संबंध [illegible] अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

03.2020 जारी किया गया। अपीलान्ट को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक के भेजा गया, जो लौटकर वापिस नहीं आने पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.06.2020 अनुसार अपीलान्ट की तामील मानी गई फिर भी अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी 08.07.20 एवं 10.08.20 को अपीलान्ट को जबाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। उपर्युक्तानुसार अपीलान्ट को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने के बाद भी अपीलान्ट किसी भी तारीख पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपने बचाव में जबाब, साक्ष्य, सबूत आदि पेश किये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2020 को विभागीय प्रकरण संख्या 16 / 2020 में निर्णय पारित कर प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000 / –रूपये जब्त बहक सरकार की जाकर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, जो निर्णय उचित एवं नियमानुसार है क्योंकि अपीलान्ट को नोटिस जारी करने के बाद अपीलान्ट को जबाब, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देने के बाद भी अपीलान्ट न तो अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा कोई जबाब एवं साक्ष्य सबूत पेश किये गये है। अपील के पेज संख्या–2 में अपीलान्ट का कथन कि उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर कारण बताओ नोटिस के बिन्दुओं के तहत स्पष्टीकरण पेश किया तथा अपील के पेज संख्या–4 के बिन्दु संख्या–3 में भी जिला रसद अधिकारी को नोटिस का जबाब पेश करने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट ने अपील के पेज नम्बर 6 के बिन्दु संख्या–5 में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.06.2020 को स्पीड पोस्ट से जबाब भेजना बताते हुए डाक रजि. की रसीद अपील के साथ पेश करना बताया है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ ऐसी कोई रसीदें एवं ऐसे किसी स्पष्टीकरण अथवा जबाब की प्रति पेश नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं से भी स्पष्ट है, अपीलान्ट को जबाब हेतु समुचित अवसर दिया गया है, आदेशिकाओं से यह भी स्पष्ट कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा यदि जबाब पेश किया जाता तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जबाब अवश्य रिकार्ड पर लिया जाता। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब प्रस्तुत करने के संबंध में हस्तगत अपील के साथ भी अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अपीलान्ट का अधिनस्थ न्यायालय में कारण बताओ नोटिस का जबाब / स्पष्टीकरण पेश करने का उपर्युक्तानुसार कथन सत्यता से परे है।

5(1)–हस्तगत प्रकरण में संयुक्त जॉच दल द्वारा निरीक्षण कर मौका फर्द दिनांक 06.03.2020 को तैयार की गई, जिसके अनुसार अपीलान्ट की दुकान पर पहूंचने पर मौके पर उचित मूल्य दुकान खाद्य उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान बंद मिली। आसपास के उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर लोगों द्वारा अवगत कराया कि उचित मूल्य दुकानदार मदनलाल सुण्डा महिने में कुछ ही दिन दुकान खोलता। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि दिनांक 06.03.2020 को शाम 4 बजे जांच अधिकारी लालास पहुंचे थे, अपीलांट की पोश मशीन में 2.30 बजे तक उपभोक्ता गेहूं लेने आये थे, बाद में बरसात हो रही थी, उपभोक्ता कम आये तथा अपीलांट दुकान पर ही था, उनको गेहूं वितरण किया गया तथा 4 बजे कोई उपभोक्ता नहीं होने के कारण पास के अस्पताल में अपीलांट को तेज बुखार आ जाने से इंजेक्शन लगवाने चला गया व राशन वितरण में सहयोगी वही दुकान पर थे करीब 5 उपभोक्ताओं को अपीलांट ने गेहूं दिये, इसके बावजूद मौका रिपोर्ट में दुकान बंद बतायी गयी है जो सरासर गलत बतायी गई है तथा दिनांक 06.03.2020 की वितरण सूची भी अपीलांट ने पेश की थी जिसको नजर अंदाज किया गया है। अपीलान्ट के उक्त कथन संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.03.2020 मौके पर उपस्थित व्यक्तियों एवं अपीलान्ट की मौजूदगी में तैयार की गई एवं उक्त मौका फर्द को उपस्थित व्यक्तियों एवं अपीलान्ट को मौके पर पढ़कर सुनाया गया एवं उक्त मौका फर्द पर अपीलान्ट व उपस्थित व्यक्तियों ने सही मान कर ही हस्ताक्षर किये है। उक्त मौका फर्द के अनुसार अपीलान्ट की दुकान खाद्य उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान बंद होना साबित है। इसके अलावा अपीलान्ट ने अपने उक्त कथन को साबित करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य यथा–डॉक्टर की पर्ची, दवाईयां का बिल, वितरण सूची आदि अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

5(2)–दुकान के बाहर सूचना बोर्ड लगा नहीं पाया, अधिकारियों के नम्बर, अवशेष स्टॉक, दुकान बंद आदि की कोई सूचना प्रदशित होना नहीं पाया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि अपीलांट को राशन वितरण करते मात्र तीन महिने हुए थे, माह मार्च में सरपंच लालास द्वारा अपीलांट को खाद्य सुरक्षा का भवन उपलब्ध करवा दिया गया, अपीलांट की पुरानी दुकान पर बोर्ड बना हुआ था जो आज भी सुरक्षित है खाद्य सुरक्षा भवन अपीलांट को मार्च 2020 में ही दिया गया था, यह बात अपीलांट ने निरीक्षण दल को भी बतायी थी मगर उन्होने अपीलांट की कोई बात नहीं सुनी व गलत रिपोर्ट तैयार कर दी। अपीलान्ट के उक्त कथन से ही यह स्पष्ट है कि वक्त निरीक्षण मौका दुकान के बाहर सूचना बोर्ड मय आवयश्क सूचना प्रदर्शित करते हुए नहीं पाया गया, परन्तु उक्त सूचना बोर्ड नहीं लगाने आदि के संबंध में अपीलान्ट द्वारा जो कारण बताया है वह उचित प्रतीत नहीं है। उक्त संबंध में मौका फर्द दिनांक 06.03.2020 अनुसार दुकान के बाहर सूचना बोर्ड लगा नहीं पाया व जिला कलक्टर व अन्य अधिकारियों के नम्बर, अवशेष स्टॉक, दुकान बंद आदि की कोई भी सूचना नहीं प्रदर्शित पाई गई। उक्त मौका फर्द मौके पर उपस्थित व्यक्तियों एवं अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार कर पढ़कर सुनाई, जिस पर अपीलान्ट व उपस्थित व्यक्तियों द्वारा सही मानकर हस्ताक्षर किये है। इसलिए उक्त मौका फर्द पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उचित मूल्य दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर आवश्यक रूप से सूचना बोर्ड मय आवश्यक सूचना प्रदर्शित करते हुए लगाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोप के खण्डन स्वरूप कोई ठोस एवं प्रमाणिक कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5(3)–दुकानदार के पास अवशेष रजिस्टर संधारित था परन्तु प्रमाणित नहीं था व 20.01.2020 के बाद की प्रविष्टिया दर्ज नहीं थी। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि स्टॉक रजिस्टर नया प्रमाणित नहीं होने के कारण पुराने माह के रजिस्टर में ही प्रविष्टि दर्ज की थी। परन्तु अपीलान्ट द्वारा पुराना प्रमाणित रजिस्टर जिसमें प्रविष्टियां दर्ज होना बताया है, वह ना तो जॉच दल के समक्ष प्रस्तुत किया और न ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और न ही प्रकरण हाजा में अपील के साथ प्रस्तुत किया है। इसलिए वकील अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5(4)–उपभोक्ताओं को राशन वितरण की पर्ची नहीं दी जा रही रही थी। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि उस समय पोश मशीन में स्टॉक ऑन लाईन ही रहता रहा है तथा पोश मशीन में हर दिन की वितरण पर्ची व स्टॉक निकलता है। पोश मशीन की पर्ची हर उपभोक्ता को दी जा रही थी तथा किसी भी उपभोक्ता ने अपीलांट के सामने यह बात जांच दल को नहीं कही कि उसे पर्ची नहीं दी जा रही हो, यह बात तथ्यहीन है तथा किसी भी उपभोक्ता के साथ अपीलांट का व्यवहार अभद्र नहीं रहा है ऐसी शिकायत भी मनगढत, झुठी है इसका प्रमाण भी अपीलांट ने सरपंच लालास के लेटरहैड पर जवाब में पेश किया था जिन सभी को नजर अन्दाज करते हुए जवाब पेश नहीं होना मानकर विधि विरूद्ध ढंग से निर्णय पारित किया है। उक्त संबंध में कि जॉच दल द्वारा फर्द मौका में इस बात का इन्द्राज किया है कि उपभोक्ताओं को वितरण पर्ची नहीं दी जा रही है, जिस फर्द मौका पर अपीलान्ट व गवाहान के हस्ताक्षर अंकित है। इससे यह प्रमाणित है कि अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण की पर्चीयां नहीं दी जा रही थी तथा अपीलान्ट का कथन कि उसे सरपंच लालास के लेटरहैड पर जबाब पेश किया था, जिन सभी को नजर अन्दाज करते हुए जबाब पेश नहीं होना मानकर विधि विरूद्ध ढग से निर्णय पारित किया है। उक्त संबंध में कि अपीलान्ट द्वारा सरपंच लालास के लेटर हेड पर किसी भी प्रकार का जबाब अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही अपीलान्ट द्वारा अपील [illegible] की प्रति प्रस्तुत की है। इसलिए उपभोक्ताओं को राशन वितरण की पर्ची [illegible] जाने का आरोप के संबंध में अपीलान्ट द्वारा किये गये उपर्युक्तानुसार [illegible]

5(5)–राशनकार्ड नम्बर 00837660020[illegible] हणमान जाति बावरी को चैक करने पर पाया कि राशन सामग्री के वित[illegible] इन्द्राज नहीं किया गया है।उक्त संबंध में संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

जाँच दल द्वारा फर्द जब्ती दिनांक 06.03.2020 से अपीलान्ट की उ.मू.दु. से उक्त राशनकार्ड नम्बर 008376600202 भूराराम पि. हणमान एवं स्टॉक रजिस्टर को जब्त किया गया है। फर्द मौका एवं फर्द जब्ती रूबरू मौतबिरान तैयार कर पढ़कर सुनाई गई है, जिन पर उपस्थित व्यक्तियों व अपीलान्ट के हस्ताक्षर किये हुऐ है। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि उपभोक्ता के राशन कार्ड में प्रविष्टि की जाती है अपीलांट ने सभी उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में ऐंट्री की है तथा वर्तमान ऑन लाईन ट्रांजेक्शन के समय उपभोक्ता को आधार कार्ड से भी वितरण किया जाता है भामाशाह कार्ड से भी वितरण होता है अतः कुछ उपभोक्ता राशन लेकर ही नहीं आते है जबकि ऑन लाईन ट्रांजेक्शन पूर्ण रूप से ओ.टी.पी. व बायोमेट्रिक किया हुआ है। उक्त संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 में अंकित किया गया है कि राशनकार्ड नम्बर 008376600202 भूराराम पि. हणमान जाति बावरी को चैक करने पर पाया कि राशन सामग्री वितरण का इन्द्राज राशन कार्ड में नहीं है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट व अन्य उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है, इससे स्पष्ट है कि उक्त राशन कार्ड में राशन सामग्री वितरण का इन्द्राज नहीं किया गया है। इसलिए उक्त आरोप के संबंध में अपीलान्ट द्वारा किये गये उपर्युक्तानुसार कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5(6)–इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा उसके विरूद्ध आरोपों संबंध में प्रस्तुत अपील के माध्यम से भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे अपीलान्ट को जारी कारण बताओ नोटिस में लगाये गये आरोप गलत अथवा मिथ्या साबित हो। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

6–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7–निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested